2. Sir, I also lay on the Table copies, duly authenticated by the Secretary of Rajya Sabha, of the following ten Bills passed by the Houses of Parliament and assented to since a report was last made to the House on the 5th September, 1973:—

(1) The Mysore State (Alteration of Name) Bill, 1973.

(2) The National Co-operative Development Corporation (Amendment) Bill, 1973.

(3) The Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands (Alteration of Name) Bill, 1973.

(4) The Customs, Gold (Control) and Central Excises and Salt (Amendment) Bill, 1973.

(5) The Agricultural Refinance Corporation (Amendment) Bill, 1973.

(6) The Employees' Provident Funds and Family Pension Fund (Amendment) Bill, 1973.

(7) The Reserve Bank of India (Amendment) Bill, 1973.

(8) The Indian Railways (Amendment) Bill, 1973.

(9) The Foreign Exchange Regulation Bill, 1973.

(10) The Constitution (Thirty-first Amendment) Bill, 1973.

---

13 hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

THIRTY-THIRD REPORT

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI K. RAGHURAMAIAH): I beg to move:

"That this House do agree with the Thirty-third Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 12th November, 1973."

SOME HON. MEMBERS rose—

MR. SPEAKER: This is the Motion moved by Shri Raghu Ramaiah that the House do agree with the Thirty-third Report of the B.A.C. presented to the House on 12th November, 1973.

As you know, we have the procedure that when the Minister announces the business of the House for the next week, then I allow you to speak. But not when the B.A.C. Report is put to vote.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : अध्यक्ष जी, मैं इसी के बारे में कह रहा हूं। यह बात तय होनी चाहिए कि जब चर्चा के लिए विषय लिए जाते हैं तो 193 के भी नोटिस दिए जाते हैं और 184 के भी नोटिस दिए जाते हैं। क्या यह बात सरकार पर छोड़ी जायेगी कि वह 193 का मोशन पसन्द करती है या 184 का। यदि 184 के द्वारा किसी विषय पर हम सदन की राय प्रकट करना चाहते हैं तो क्या सरकार को अधिकार है कि वह कहे हमें 184 पसन्द नहीं है, 193 हम चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह तो कल कमेटी में फैसला हुआ है। इसमें सरकार की पसन्द की बात ही नहीं हुई, जो कमेटी को पसन्द हुआ वह बात हुई।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम यहां पर काम रोको प्रस्ताव में फंसे हुए थे।

अध्यक्ष महोदय : आप काम को रोकना ही क्यों चाहते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यहां हमने काम रोकने की कोशिश की और वहां काम जारी रहा।

MR. SPEAKER: The question is:

"That this House do agree with the Thirty-third Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 12th November, 1973."

The motion was adopted.

---

13. 02 hrs.

MATTER UNDER RULE 377

ALLEGED FAILURE OF GOVERNMENT TO INFORM THE HOUSE ABOUT ABOLITION OR REDUCTION OF EXPORT DUTY ON JUTE GOODS

श्री मधु लिमये (बांका) : अध्यक्ष महोदय, आज मैं जो सवाल उठा रहा हूं वह कम से कम 100 करोड़ रुपये का मामला है।

18 जुलाई, 1973 को सरकार ने आसाम बाटम किस्म के पाट के लिए 157.68 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से कलकत्ता डिलीवरी का दाम निर्धारित किया गया। 19 अगस्त को व्यापार मंत्री श्री चट्टोपाध्याय ने कलकत्ता में एक प्रेस सम्मेलन किया। उसमें उन्होंने कहा कि पाट के सामान पर निर्यात शुल्क घटाने या समाप्त करने का सुझाव उनके मंत्रालय ने दिया है ताकि कृत्रिम सामानों की तुलना में पाट के सामानों की स्पर्द्धा करने की क्षमता अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों में बढ़ सके। उन्होंने आगे यह भी कहा कि उनके सुझाव पर वित्त मंत्रालय विचार कर रहा है और उनकी प्रतिक्रिया अनुकूल मालूम पड़ रही है।

व्यापार मंत्री ने, मेरी राय में, दो किस्म औचित्य भंग किया। पहला, वित्त मंत्रालय से अन्तिम सूचना प्राप्त होने के पहले ही उन्होंने एक प्रेस सम्मेलन में निर्यात शुल्क घटाने और समाप्त करने की घोषणा की और यह भी कह दिया कि वित्त मंत्रालय इसके पक्ष में है। दूसरा औचित्य भंग यह हुआ कि व्यापार मंत्री ने ऐसे सुझाव की घोषणा कलकत्ते में एक प्रेस सम्मेलन में की जिसमें सरकारी खजाने को 18 करोड़ रुपये का घाटा होने वाला था अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने कई बार फरमाया है कर सम्बन्धी मामला लोक सभा के सामने सबसे पहले आना चाहिए न कि प्रेस सम्मेलनों के सामने, खास कर के जब कि लोक सभा का सत्र चल रहा हो।

26 सितम्बर, 1973 को केन्द्र सरकार ने जूट मिल मालिकों के ऊपर आदेश जारी किया कि अक्तूबर के अन्त तक कच्चे पाट की 14 लाख गाठें वह निर्धारित दाम पर खरीदें। व्यापार मंत्री ने जूट कारपोरेशन को भी यह आदेश दिया था कि वह भी उत्पादकों से निश्चित दाम पर 15 लाख गांठें खरीद लें।

लेकिन जूट मिल-मालिकों ने, न ही जूट कारपोरेशन ने सरकारी आदेशों का पालन किया। सरकार ने निर्धारित दामों में जो क्विंटल पीछे 12 रुपये की छूट दे दी थी उससे भी उनको संतोष नहीं हुआ। स्वयं श्री चट्टोपाध्याय कलकत्ता में यह कहने के लिए बाध्य हो गये कि उनको जूट उद्योग के व्यवहार से घोर निराशा हुई